भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1863
जिसका उत्तर बुधवार 03 अगस्त, 2016 को दिया जाना है

डीजल के वाहनों को चलाये जाने पर रोक

1863. श्री शादी लाल बत्रा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को डीजल ईंधन वाले वाहनों के चलाये जाने पर लगायी गयी रोक की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर इस प्रकार की रोक के प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): जी, नहीं। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2000 सीसी से अधिक की ईंजन क्षमता की नई डीजल कारों के पंजीकरण पर रोक लगाने के लिए हाल ही में आदेश दिया है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने भी दिनांक 18 जुलाई, 2016 और 20 जुलाई, 2016 के अपने आदेशों में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के पंजीकरण को रद्द करने का आदेश दिया है।

(ग) से (ङ): जी, नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उपर्युक्त आदेशों को क्रमशः माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में चुनौती दी जा रही है।

******